परिशिष्ट – एक

म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23–क (1) (ख) अन्तर्गत भूमि उपयोग उपान्तरण हेतु आवेदन

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः– मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23–क (1) (ख) अन्तर्गत —————————— नगर की विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि —————————— का —————————— उपान्तरण करने हेतु आवेदन।

1.1 आवेदक का नाम :——————————

1.2 पूर्ण डाक पता :——————————

1.3 ई–मेल :——————————

1.4 मोबाईल नंबर :——————————

1.5 दूरभाष क्रं. :——————————

फैक्स क्रं. :——————————

2.1 भू–स्वामी का नाम :——————————

2.2 पूर्ण डाक पता :——————————

2.3 ई–मेल :——————————

2.4 मोबाईल नम्बर :——————————

2.5 दूरभाष क्रं. :——————————

फैक्स क्रं. :——————————

3. आवेदक यदि भू–स्वामी नहीं है तो आवेदक का और भू–स्वामी के संबंध का स्पष्ट विवरण :——————————

4.1 यदि आवेदन, समूह (एसोसिएशन ऑफ पर्सनस) द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो एसोसिएशन का विवरण :---

4.2 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की स्थिति में एसोसिएशन से संबंधीत अभिलेख :---

5.0 भू–अभिलेख :---

5.1 भूमि का नवीनतम (लेटेस्ट) पांच साला खसरा एवं पटवारी नक्शा :---

5.2 नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रति :------------

5.3 उपांतरण हेतु वर्तमान भू–स्वामी का सहमति पत्र :------------------------

5.4 आवेदित भूमि जिसके संबंध में उपांतरण हो का विवरण :---------

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रं.	क्षेत्रफल / रकबा (हेक्टर में)

6.0 आवेदित भूमि किस नगर की विकास योजना में स्थित है :------------------------

7.0 आवेदित भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग :------------------------

8.0 अगर आवेदित भूमि का भू–उपयोग उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है तो उसका विवरण :------------------------

9.0 उपांतरण के लिए परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सात प्रतियों में। रिपोर्ट अतिसंक्षिप्त होनी चाहिए, सामान्यतः 60–70 पृष्ठ)
परियोजना प्रतिवेदन निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा :–

1. भूमि स्वामित्व,
2. लोकेशन / साईट प्लान,
3. नियोजन प्रस्ताव / ले–आउट (अर्बन प्लानिंग / ट्रेफिक प्लानिंग / इन्वायरमेंट प्लानिंग
4. प्रस्तावित भवनों के स्केच प्लान,
5. सर्विसेस प्लानिंग :– जल / मल / ड्रेनेज / इलेक्ट्रिफिकेशन / फायरसेप्टी / रेनवाटर हार्वेस्टिंग / गारबेज) डिस्पोजल / ट्रीटमेंट प्लान्ट (वाटर / सीवेज / गारबेज) रिसाईक्लिंग ऑफ वाटर
6. स्पेसीफिकेशन, ऑन साईट / ऑफ साईट इन्फ्रास्ट्रचर
7. प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर दुष परिणाम तथा उनसे निपटने के उपाय,

8. जन सामान्य को परियोजना से लाभ
(सुविधाओं की दृष्टि से/ रोजगार की दृष्टि से/ पर्यावरण की दृष्टि से/ लाभान्वित होने वाले हितग्राही की दृष्टि से)
9. वित्तीय व्यवस्था,
10. इन्वेस्टमेंट प्लान
11. कियान्वयन के चरण,
12. भूमि स्वामियों की सहमति।
13. 13.1 परियोजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक अतिरिक्त बाह्य अधोसंरचना का विवरण तथा प्रचलित एस.ओ.आर. पर अतिरिक्त अधोसंरचना की अनुमानित लागत। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमानित लागत का आशय प्रश्नाधीन भूमि पर निर्मित की जाने वाली अधोसंरचना से नहीं बल्कि उस बाह्य अधोसंरचना से है जिसे भूमि के उपांतरण के फलस्वरूप विद्यमान बाह्य अधोसंरचना के अतिरिक्त निर्मित करना होगा। उदाहरण के लिये आवेदित भूमि तक पहुँचने हेतु मार्ग के निर्माण की आवश्यकता, सीवेज लाईन, विद्युत लाईन, जल प्रदाय लाईन आदि के उन्नयन (अपग्रेडेशन) कार्यो पर व्यय आदि।
    13.2 उक्त बिन्दु 13.1 में उल्लेखित बाह्य अधोसंरचना में से आवेदक कौन सी अधोसंरचना का निर्माण करेगा।
    13.3 ऐसे निर्माण में क्या मानक एडॉप्ट किए जावेगें (उदाहरणतः सडको के लिये आई.आर.सी. मानक आदि)
14 प्रश्नाधीन भूमि से पॉच किलोमीटर के अर्द्धव्यास अन्तर्गत स्थित भूमियों का मानचित्र (व गूगल मेप) जिसमें लेण्ड यूटलाईजेशन पेर्टन स्पष्ट हो।
15. परियोजना कियान्वयन के संबंध में संक्षिप्त " Environment Impact Study " की प्रति
16. यदि प्रस्तावित उपांतरण के किसी तालाब, नदी, जलाशय आदि पर नकारात्मक प्रभाव पडने की संभावना हो तो उन दुष्प्रभावों का विवरण तथा उन्हें दूर करने के उपाय।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम/पता ....